राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं/काउंसलिंग/2017/778 दिनांक :– 10-4-17

सोसायटी ऑफ प्राइवेट पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स,
बी–137/बी, सेठी कॉलोनी,
नीयर ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रीज, आगरा रोड़,
जयपुर–302004

विषयः– माननीय न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर 123/2017 में पारित आदेश दिनांक 6.4.2017 के क्रम में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांकः SOPMI/Judgement/2016-17/1277 दिनांक 7.4.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नम्बर 123/2017 में पारित आदेश दिनांक 6.4.2017 की अनुपालना में आपकी फैडरेशन (सोसायटी ऑफ प्राइवेट पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स) को सत्र 2016–17 में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज जिनमें कोर्सवार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की तृतीय काउन्सलिंग के पश्चात् सीटे रिक्त रहीं है, के सम्बन्ध में आपके फैडरेशन के द्वारा भी रिक्त सीटों के क्रम में कौंसिल को एक सूची उपलब्ध करवाई जावेगी।

उक्त क्रम में लेख है कि आपकी फैडरेशन (सोसायटी ऑफ प्राइवेट पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशन्स) के द्वारा पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज जिन्होनें आपसे सम्बद्धता (मान्यता) ले रखी है, की कोर्सवार रिक्त सीटों का विवरण आप स्वयं के स्तर से प्राप्त कर कोर्सवार रिक्त सीटों के सम्बन्ध में अभ्यार्थियों की सूची दिनांक 17.4.2017 तक इस कार्यालय में उपलब्ध करावें एवं राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज जिन्होनें आपसे सम्बद्धता ली है, का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत करें, जिससे माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 6.4.2017 की पालना की जा सकें।

आपके द्वारा प्रदत सूची में अभ्यर्थियों का चयन राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियम/विनियम के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर सत्यापन करवाने का श्रम करें अन्यथा पैरामैडीकल कौंसिल के द्वारा करवाये जा रहे कोर्स के लिए परीक्षा में बैठने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशिक्षण केन्द्र की होगी–

1. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के नियमानुसार प्रशिक्षाणार्थीयों की सूची कॉलेजवार, कोर्सवार आरक्षण देते हुए मेरिट के आधार से बनाकर भिजवावें।
2. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2016–17 में प्रशिक्षण हेतु आवेदक जिन्होंने पैरामेडिकल प्रशिक्षण हेतु आवेदन किया है, के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा की मूल अंकतालिका/मूल निवास/प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)/जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र का सत्यापन सम्बन्धित पैरामेडिकल कॉलेज अपने स्तर से करें।
3. आवेदक द्वारा अजमेर बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन सम्बन्धित पैरामेडिकल कॉलेज अपने स्तर, सम्बन्धित बोर्ड से करावें एवं अजमेर बोर्ड समकक्षता का प्रमाण–पत्र लेवें।
4. आवेदक द्वारा की उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (Physics, Chemistry, Biology/Maths) से उत्तीर्ण की गयी है, यह सुनिश्चित करें।

5. आवेदक द्वारा कृषि विज्ञान (Agriculture) /कला वर्ग/वाणिज्य वर्ग से उत्तीर्ण है तो प्रशिक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

6. आवेदक के उच्च माध्यमिक परीक्षा में सामान्य जाति के लिए 45% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 40% प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

7. आवेदक की आयु दिनांक 31.12.2016 तक 17 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।

8. उक्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण हेतु प्राप्त आवेदकों की सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में भिजवाने का श्रम करें।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म दिनांक	जाति वर्ग	31.12.2016 तक आवेदक की आयु	सीनियर सैकण्डरी में विषय (PCM /PCB)	सैकण्डरी उत्तीर्ण बोर्ड का नाम	सीनियर सैकण्डरी उत्तीर्ण बोर्ड का नाम	सीनियर सैकण्डरी के प्राप्तांक / प्रतिशत	प्रशिक्षण कोर्स का नाम	पैरामेडिकल कॉलेज का नाम

क्रम संख्या	पैरामेडिकल कॉलेज का नाम	प्रशिक्षण कोर्स का नाम	कुल सीटों की संख्या	राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, द्वारा आंवटन के पश्चात उपस्थिति प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान द्वारा आंवटित प्रशिक्षार्थियों की संख्या	रिक्त सीटों की संख्या

Rai Pareek.
5.20 P.M.
10/4/17

रजिस्ट्रार